राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 23/2017

1. समाकौर पत्नी स्व. चन्दगीराम जाति जाट निवासी मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. औमप्रकाश पुत्र स्व. चन्दगीराम जाति जाट निवासी मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. छाजूराम पुत्र स्व. चन्दगीराम जाति जाट निवासी मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. अशोक कुमार पुत्र स्व. चन्दगीराम जाति जाट निवासी मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. नाथूराम पुत्र देशराज जाति जाट निवासी मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक 26–02–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि खाता संख्या नया 41 के खसरा नंबर 508 रकबा 0.38 है. ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी में स्थित हे। खसरा नंबर हाल 508 रकबा 0.38 है. के गत खसरा नंबर 302 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 के पिता देशराज थे जिसने उक्त आराजियात को वादी सं. 1 के पति तथा वादी सं. 2 लगायत 4 के पिता स्व. चन्दगीराम को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.6.1982 को बिल एवज चार हजार रूपयों में बिक्री कर दिया और वादीगण के पिता स्वयं उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर काबिज होकर काश्त करने लगा तथा इसके फौत होने के पश्चात् उनके वारिश वादीगण काबिज काश्त कर रहे हैं। वादी सं. 1 का पति व वादी सं. 2 लगायत 4 का पिता एक अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण उसको यह ज्ञान नहीं था कि उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण दर्ज किया जाता है और विक्रय पत्र को बक्से में रख दिया जिस कारण से उक्त आराजियात का नामांतकरण दर्ज नहीं हो सका। उक्त आराजियात पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 क पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी लेकिन उसके फौत होने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 के नाम विरासत का नामांतकरण दर्ज हो गया और प्रतिवादी की अन्य खातेदारी की आराजियात में उक्त खसरा नंबर शामिल में दर्ज हो गया जिसका वादीगण बंटवारा व अलग से खाता कायम करवाने के अधिकारी हैं। वाद वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 स्वयं या अन्य किसी का कब्जा आदि करवा देता है या रहन, बेचान आदि कर देता है तो वादीगण की अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 508 रकबा 0.38 है. में प्रार्थीगण को जोर जबरन के कब्जा कर कब्जा दीगर व्यक्तियों को स्थानान्तरित नहीं करें तथा वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या मजाहमत पैदा नहीं करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र की खण्ड सं. 3 में दर्ज खसरा नंबर 508 रकबा 0.38 है. के गत खसरा नंबर 302 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं. 1 के स्व. पिता देशराज होना स्वीकार है। शेषांश अस्वीकार है। क्योंकि स्व. देशराज ने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त खण्ड में वर्णित कृषि भूमि का कोई बेचान प्रार्थीगण के पिता स्व. चन्दगीराम के हक में नहीं किया तथा ना ही कोई विक्रय पत्र तस्दीक करवाया। प्रार्थीगण के पति व पिता ने अप्रार्थी सं. 1 के पिता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ले जाकर फर्जी व कुटरचित विक्रय पत्र तैयार करवाया है। अप्रार्थी सं. 1 के पिता ने अपनी भूमि का बेचान नहीं किया। प्रार्थीगण फर्जी व कुटरचित तरीके से तैयार करवाये गये विक्रय पत्र की आड में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की भूमि को हड़पना चाहते हैं जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है जिस विक्रय पत्र से प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 की भूमि को हथियाना चाहते हैं अगर वो असली विक्रय पत्र होता तो प्रार्थीगण 36 वर्षों तक उक्त विक्रय पत्र को घर में दबाकर नहीं रखते उसी समय इंतकाल दर्ज करवा लेते। इसलिये क्रेता के द्वारा विक्रय पत्र को बक्शे में रखकर भूल जाने की बात मिथ्या प्रतीत होती है जो किसी भी सुरत में चलने योग्य नहीं है। वाद वर्णित भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वयं की विरासतन में मिली खातेदारी भूमि है जिसको उसे रहन, बेचान दान आदि करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपनी भूमि को काम लेने से प्रार्थीगण को कोई हकतलफी व अपूर्तनीय क्षति नहीं होगी और यदि फर्जी व कुटरचित विक्रय पत्र से अप्रार्थी सं. 1 की भूमि उसके काश्त के अधिकार से निकल जाती है तो अप्रार्थी सं. 1 को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। ना तो प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है व न ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है बल्कि उक्त दोनों ही बातें अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने तर्क किया कि वे सद्भावी विक्रेता हैं एवं पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर काबिज काश्त हैं। जमाबन्दी का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण वर्तमान रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार प्रमाणित नहीं हैं, किन्तु प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. चन्दगीराम ने उक्त वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीदी थी लेकिन नामांतकरण नहीं कराया। वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज काश्त है। अप्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 508 का विरासत का नामांतकरण दर्ज करा लिया जो देशराज पुत्र झाबर जाति जाट सा.देह की खातेदारी में दर्ज था। अब प्रार्थीगण ने इसी आधार पर दावा पेश किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 का तर्क कि वादग्रस्त भूमि पर हमारा ही कब्जा है एवं तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सही नहीं है। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. चन्दगीराम ने भूमि गत खसरा नंबर 302 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के अप्रार्थी सं. 1 के हकपूर्वाधिकारी देशराज पुत्र झाबरराम से खरीदी थी। स्व. चन्दगीराम के पक्ष में तस्दीक उक्त विक्रय पत्र फर्जी एवं कुटरचित है।

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 508 रकबा 0.38 है. भूमि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. चन्दगीराम ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की है। परन्तु उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। इसलिए राजस्व रिकार्ड की आड़ में उक्त आराजी खसरा नंबर 508 पर अप्रार्थी कब्जा करने पर आमादा है। वाद के इस स्तर पर किसी भी पक्ष के समर्थन में निर्णय दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, विस्तृत निर्णय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना उचित होगा।

अतः यह न्यायालय उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करता है कि वे ग्राम मान्दरी स्थित भूमि खसरा नंबर 508 रकबा 0.38 है. के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 26–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Scanned with CamScanner